जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकःजीवि/परीक्षा–2/गोपनीय/2010/1368 दिनांक 09.07.2010

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष,
सम्बद्ध महाविद्यालय एवं अध्ययनशालाएँ,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय – ऑनलाइन परीक्षा कार्य सम्बन्धी आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्य का कम्प्यूटराइजेशन करने के उद्देश्य से ऑनलाइन परीक्षा कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में महाविद्यालयों को ऑनलाइन प्रवेश सूची, परीक्षा फार्म, रोल नंबर, अटेण्डेंसशीट, सीटिंग प्लान आदि सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर महाविद्यालयों को ऑनलाइन परीक्षा संबंधी कार्य करने के लिये विशेष दिशा–निर्देश दिये जाते हैं, लेकिन कतिपय महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि नीचे दर्शित दिशा–निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करें :–

1. नवीन छात्रों की ऑनलाइन प्रवेश सूची भरते समय छात्र का नाम (हायर सेकेण्डरी मार्कशीट के अनुसार), पिता नाम एवं माता का नाम आवश्यक रूप से स्पेलिंग सहित चैक कर लें, क्योंकि महाविद्यालयों द्वारा अधिक मात्रा में स्पेलिंग में गलतियां की जा रही हैं, जिससे छात्र की मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेजों पर नाम गलत प्रिंट होकर आता है और यह छात्र विश्वविद्यालय में नाम करेक्शन कराने के लिये व्यर्थ ही परेशान होते हैं। साथ ही प्रवेश सूची में आवश्यक रूप से छात्र का फोटो एवं उसके हस्ताक्षर आवश्यक रूप से स्केन कर डालें, जिससे छात्र के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
2. विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ् सेमेस्टर हेतु महाविद्यालयों से परीक्षा फार्म भरवायें जा रहे हैं, जिसमें महाविद्यालय अपने छात्रों को दो प्रतियों में परीक्षा फार्म निकालकर देते हैं, तत्पश्चात् महाविद्यालय परीक्षा फार्म अपडेट करते हैं, लेकिन महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्म अपडेट करते समय पूर्तियां पूर्ण नहीं की जा रही हैं, जैसे– छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम में स्पेलिंग आदि की त्रुटियां हैं तो उसको सुधार नहीं जा रहा हैं और न ही ऑपशनल पेपर के विषय कोड डालकर विषय अपडेट किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त छात्र के प्रथम सेमेस्टर से लेकर पंचम सेमेस्टर कम्पलाइलेशन मार्क्स भी नहीं भरे जा रहे

हैं, इस कारण छात्रों का परीक्षा परिणाम रूक जाता है और छात्र विश्वविद्यालय में परेशान होते हैं।

3. विशेष रूप से महाविद्यालय छात्र के अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा फार्म अपडेट करते समय उसका नामांकन नंबर, कम्पाइलेशन मार्क्स (प्रथम सेमेस्टर से पंचम सेमेस्टर तक) आदि की पूर्तियां आवश्यक रूप से करें, क्योंकि समस्त पूर्तियां पूर्ण नहीं की गयी, तब ऐसी दशा में छात्र का परीक्षा परिणाम स्वतः ही रूक जायेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा फार्म अपडेट करते समय महाविद्यालयों उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि महाविद्यालयों द्वारा जो जानकारी अपडेट करके मांगी जा रही है, वह विश्वविद्यालय को नहीं मिल पा रही है। अतः महाविद्यालय परीक्षा फार्म को आवश्यक रूप से समस्त पूर्तियां करते हुये अपडेट करें।

4. सेशनल/प्रैक्टीकल/प्रोजेक्ट के अंक महाविद्यालयों से ऑनलाइन मंगाये जा रहे हैं, लेकिन महाविद्यालयों द्वारा अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं के अंक ऑनलाइन नहीं भरे जा रहे हैं और कुछ शेष छात्र–छात्राओं के अंक ऑनलाइन भरने से रह जाते हैं, इस कारण अत्याधिक मात्रा में परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम रुक रहा है। कतिपय महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अंक जमा न करके डाक के माध्यम से लिस्ट टाइप कराकर अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत अंक भेजे जा रहे हैं।

6. विश्वविद्यालय द्वारा सेशनल/प्रैक्टीकल/प्राजेक्ट के अंक ऑनलाइन मंगाये जा रहे हैं, जिसमें छात्रों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है, अगर उस सूची में किसी छात्र का रोलनंबर/नाम नहीं हैं तो उस प्रोग्राम में ''न्यू स्टुडेंट फॉर सेशनल मार्क्स'' तथा ''न्यू स्टुडेंट फॉर प्रैक्टीकल/प्रोजेक्ट मार्क्स'' करके ऑप्शन दिया गया है, जिवमें नवीन छात्र का रोल नंबर, नाम आदि डालकर विषयवार अंक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश महाविद्यालय इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है।

7 प्रायः छात्र जब विश्वविद्यालय में समस्याएँ लेकर आते हैं, तब विश्वविद्यालय को ज्ञात होता है कि महाविद्यालयों के नाम में (नाम अथवा स्पेलिंग) की त्रुटियां हैं। ऐसी स्थिति में समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये सम्बद्धता प्रमाण–पत्र से अपने महाविद्यालय के नाम का मिलान आवश्यक रूप से कर लें, अगर नाम या स्पेलिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि हैं तो आवश्यक रूप से सम्बद्धता विभाग में आकर अपने महाविद्यालय के नाम में सुधार करवा लें, जिससे छात्रों की पूर्ण हुई डिग्री में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही ऑनलाइन सूची में सुधार के लिये आवेदन–पत्र आवश्यक रूप से उपकुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा) को भिजवायें, जिससे ऑनलाइन सूची में नाम परिवर्तित किया जा सके।

8. विश्वविद्यालय द्वारा समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को कॉलेज कोड आवंटित कर दिये गये हैं। अतः समस्त महाविद्यालय अपनी सील बनवाते कॉलेज नाम के साथ कॉलेज कोड आवश्यक रूप से डालें, जिससे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

अतः सर्वसंबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत ऊपर वर्णित दिशा–निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन कर अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। जिससे छात्र को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

कुलसचिव,

पृष्ठाकन क्र.:जीवि/परीक्षा–2/गोप./2010/1368 दिनांक 09.07.2010

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् संपादक महोदय ..... की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त ऑनलाइन परीक्षा सम्बन्धी दिशा–निर्देशों को अपने लोकप्रिय समाचार–पत्र में समाचारवृत्त के रूप में छात्रहित में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. सहायक/उप–कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. प्रभारी, स्वागत कक्ष एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

उप–कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)